# अध्याय 8

*बोर्ड , परिषद, समितियां और अन्य निकाय लोक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित*
*[ धारा 4 (1) (बी) (V!!!)]*
*निम्नलिखित प्रारूपों में सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बारे में जानकारी प्रदान करें।*

**8. विभाग में उपलब्ध ऐसे मण्डल, परिषद् या समितियों का विवरण जो दो से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर अथवा उनसे सलाह लेकर कार्य करने कार्य करने के लिये गठित की गई है:-**

विभाग में उक्त कार्य के लिये मण्डल, परिषद् तथा समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

**माध्यमिक शिक्षा मण्डल**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश वर्तमान में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 द्वारा शासित एक स्वायत्व शासी निगमित निकाय है जिसका संचालन उपरोक्त अधिनियम के प्रवधाना के अनुसार होता है। मण्डल में 12 पदेन सदस्य, 10 राज्य शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य तथा दो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य है तथा विभिन्न श्रेणी के कुल 1524 पद स्वीकृत है। मण्डल का मुख्य कार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री परीक्षाओं का संचालन, कक्षा 9 से 12 तक प्रस्तावित पाठ्यक्रम तैयार कराना और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना, पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य, प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री परीक्षाओं के लिये मान्यता देना तथा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊचा उठाने के लिये आवश्यक कदम उठाना है। मण्डल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है इसके अतिरिक्त एक आंचलिक कार्यालय इंदौर में तथा एक-एक संभागीय कार्यालय उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, इंदौर, सागर तथा भोपाल में स्थित है। मण्डल द्वारा 3 आदर्श उच्चतर माध्यिम विद्यालय क्रमशः भोपाल, रीवा तथा जाबरा (रतलाम) में भी संचालित किये जा रहे है।

**पाठ्यपुस्तक निगम**

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना दिनांक 7/8/68 को की गई है। निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक, निगम विनियम 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शालेय स्तर के छात्र/छात्राओं के उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। निगम द्वारा एक समय वद्ध कार्यक्रम के अनुसार पाठय पुस्तकों के सामयिक मुद्रण की व्यवस्था की जाती हैै तथा शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व मुद्रित पाठ्यपुस्तकों के वितरण की समुचित व्यवस्था की जाती है। कक्षा 1- 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का लेखन आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तथा कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों का लेखन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाता है। राज्य शासन द्वारा इनके विहितीकरण के पश्चात् प्रकाशन का कार्य निगम द्वारा किया जाता है निगम द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त मराठी तथा उर्दू माध्यम की पुस्तकें भी मुद्रित की जाती है। निगम द्वरा संभागीय एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित 14 डिपोज के माध्यम से निगम पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं/शासकीय विक्रेताओं को निगम की पाठ्यपुस्तकों का विक्रय/प्रदाय किया जाता है।

**राज्य ओपन स्कूल**

मध्यप्रदेश में सबके लिये शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। इस संस्था का कार्यालय टी. बी. सी. भवन माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर शिवाजी नगर भोपाल में स्थित है। मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से किसी भी रूप से वंचित वर्ग को शिक्षित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में शिक्षा से

वंचित वर्ग को कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रवेश देकर व्यक्तिगत संपर्क माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तथा उसके पश्चात् वर्ष में 2 बार नवम्बर-दिसम्बर एवं मई-जून में परीक्षायें आयोजित की जाती है। छात्रों को पॉच वर्ष के अन्तराल में

परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 9 अवसर प्रदान किये जाते है। छात्र अपनी योग्यतानुसार न्यूनतम एक वर्ष में परीक्षा का 1 अवसर लेकर भी कक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। अन्य मान्यता प्राप्त मण्डलों/अन्य राज्य ओपन स्कूलों के अनुत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की सुविधा मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल में है। प्रदेश में कुल 206 अध्ययन केन्द्र इस कार्य हेतु विकसित किये है। जिन पर अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जा कर अध्ययन सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। मध्यप्रदेश ओपन स्कूल में प्रवेश लेने वाले दृष्टिहीन छात्रों को परीक्षा के सामान्य समय के अतिरिक्त एक घंटा अधिक दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है।

**मदरसा बोर्ड**

मध्यप्रदेश में मदरसा बोर्ड का गठन वर्ष 1994 में किया गया है। मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य परम्परागत मदरसो को दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। मध्यप्रदेश मरदरसा बोर्ड में अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 11 शासकीय सदस्य तथा 8 नामांकित सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के नीति संबंधी मामलों, वित्तीय मामलों एवं बोर्ड के कार्यों में सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति गठित है, जिसमें मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सदस्य सचिव के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रीगण तथा वक्फ बोर्ड एवं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। बोर्ड के कार्यों में आवश्यक सुधार,, समीक्षा, नियोजन तथा नियम निर्देश बनाने हेतु मान्यता समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति तथा पाठ्यक्रम समिति गठित की गई है। मदरसा बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नानुसार है:-

- मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
- मदरसों को मान्यता देना।
- विहित रीति से मदरसों की प्रबंध समितियों का गठन करना।
- समितियों का गठन करना।
- मदरसा शिक्षा की प्रायमरी एवं मिडल स्तर के पाठयक्रम, विवरण विहित करना।
- कक्षा 5 और 8 की परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- मदरसों के निरीक्षण के लिये कार्यविधि का विकास करना।
- मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ऐसे अन्य कार्यों को करना जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सौपे जावे।

**संस्कृत बोर्ड**

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास, पाठशालाओं का आधुनिकीकरण, संस्कृत आधारित साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधयों के प्रोत्साहन तथा संस्कृत विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड का गठन जनवरी 2001 में किया गया है। शिक्षामंत्री सस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है तथा मंत्री उच्च शिक्षा एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त लोक शिक्षण, संचालक एस. सी. ई. आर. टी. तथा वित्त विभाग के उपसचिव इस बोर्ड के पदेन सदस्य है। इसके अतिरिक्त संस्कृत तथा इसका प्रचार प्रसार करने वाले 6 समाज सेवी, संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालयों के 3 प्रध्यापक/अध्यापक एवं राज्य शासन द्वारा नामित कोई अधिकारी इसके मनोनीत सदस्य हैं। बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नानुसार है:-

- संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- कालीदास समारोह का आयोजन।

- कक्षा 9 से 12 तथा परम्परागत पाठशालाओं में प्रथमा से मध्यमा तक संस्कृत छात्र वृत्ति का वितरण।
- संस्कृत महोत्सव का आयोजन।

- संस्कृत तथा वैदिक विद्वानों का सम्मान।
- संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन।
- पुस्तकालयों को संस्कृत साहित्य से समृद्ध करना।
- संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को परामर्श देना।
- उत्तर मध्यमा (12वीं) स्तर तक की संस्कृत परीक्षाओं का आयोजन/संचालन तथा संस्कृत के विकास संबंधी संभावनाओं को ज्ञात कर शासन को सुझाव देना।

## राजीव गॉधी शिक्षा मिशन

राजीव गॉधी शिक्षा मिशन मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये गठित है। यह एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। मिशन के नीति निर्देशक मापदण्ड, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के स्तर पर तय होते है। मिशन की साधारण सभा के सभापति मुख्यमंत्री तथा उप सभापति स्कूल शिक्षा मंत्री तथा अनुसूचितजाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रभारी मंत्री होते है। मिशन की साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा मनोनीत 30 अशासकीय सदस्यों एवं केन्द्र शासन द्वारा मनोनीत 8 अशासकीय सदस्यों का समावेश है। मिशन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुये मिशन के कार्यो का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य संचिव तथा उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव होते है। मिशन की कार्यकारिणी में राज्य द्वारा मनोनीत 8 अशासकीय सदस्यों एवं केन्द्र शासन द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों का समावेश है। मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण हेतु राज्य, जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं शाला स्तर पर समितियां गठित है। इन समितियों में शासकीय, अशासकीय जन प्रतिनिधियों का समावेश है। जिला प्रार्थमिक शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये प्रारंभ में इस मिशन का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके द्वारा सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।